INTRODUCTION

This book is about the working of the Indian Constitution. In the chapters that follow, you will read information about various aspects of the working of our Constitution. You will learn about the various institutions of the government in our country and their relationship with each other. But before you begin to read about elections, governments, and presidents and prime ministers, it is necessary to understand that the entire structure of the government and the various principles that bind the institutions of government have their origin in the Constitution of India.

परिचय

यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधें के बारे में आप को ज्ञान होगा।

लेकिन इससे पहले कि आप चुनावों, सरकारों, और राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ना शुरू करें, यह समझना आवश्यक है कि सरकार की संपूर्ण संरचना और सरकार के संस्थानों को बांधने वाले विभिन्न सिद्धांतों का मूल भारत के संविधान में है।

INTRODUCTION

After studying this chapter, you will learn:

- **what a constitution means;**
- **what a constitution does to the society;**
- **how constitutions govern the allocation of power in society; and**
- **what was the way in which the Constitution of India was made.**

परिचय

इस अध्याय के अध्ययन से आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा :

- ❖ संविधान किसे कहते हैं।
- ❖संविधान समाज को क्या देता है।
- ❖ संविधान समाज में शक्ति का बँटवारा कैसे करता है। और
- ❖ भारत का संविधान कैसे बनाया गया।

WHY DO WE NEED A CONSTITUTION?

What is a constitution? What are its functions? What role does it perform for a society? How does a constitution relate to our daily existence? Answering these questions is not as difficult as you might think.

हमें संविधान की क्या आवश्यकता है?

संविधान क्या है? इसके कार्य क्या हैं? समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है? हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है? इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं हैं जितना आप सोचते हैं।

The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society.

संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराये जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे।

The second function of a constitution is to specify who has the power to make decisions in a society. It decides how the government will be constituted.

संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी

So the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them.

अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किये जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएँ लगाए। ये सीमाएँ इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती।

The fourth function of a constitution is to enable the government to fulfil the aspirations of a society and create conditions for a just society.

संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके।

Fundamental identity of a people

Finally, and perhaps even most importantly, a constitution expresses the fundamental identity of a people. This means the people as a collective entity come into being only through the basic constitution. It is by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed, and who should be governed that one forms a collective identity. One has many sets of identities that exist prior to a constitution.

राष्ट्र की बुनियादी पहचान

आखिरी और शायद सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि संविधन किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधन वेफ माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई वेफ रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने वेफ लिए हमें इस संबंध में वुफछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन वैफसे होगा और शासितों में कौन–कौन से लोग होंगे। संविधान बनने वेफ पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएँ होती हैं। लेकिन वुफछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं।

what is constitution?

Mode of promulgation

This refers to how a constitution comes into being. Who crafted the constitution and how much authority did they have? In many countries constitutions remain defunct because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular and do not have the ability to carry the people with them. The most successful constitutions, like India, South Africa and the United States, are constitutions which were created in the aftermath of popular national movements. Although India's Constitution was formally created by a Constituent Assembly between December 1946 and November 1949, it drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together.

Mode of promulgation

The Constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by people who enjoyed immense public credibility, who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross-section of society, and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandisement of their personal power. The final document reflected the broad national consensus at the time

संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका

इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया। किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी? अनेक देशों में संविधान इसीलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं वेफ द्वारा बनाये जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सपफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सपफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को .....

The substantive provisions of a constitution

- **It is the hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reason to go along with its provisions. A constitution that, for instance, allowed permanent majorities to oppress minority groups within society would give minorities no reason to go along with the provision of the constitution. Or a constitution that systematically privileged some members at the expense of others, or that systematically entrenched the power of small groups in society, would cease to command allegiance.**

If any group feels their identity is being stifled, they will have no reason to abide by the constitution. No constitution by itself achieves perfect justice. But it has to convince people that it provides the framework for pursuing basic justice.

संविधान के मौलिक प्रावधान

एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को श्यादा सुविधाएँ देता है या सुनियोजित .....

Balanced institutional design

One way of such intelligent designing of a constitution is to ensure that no single institution acquires monopoly of power. This is often done by fragmenting power across different institutions. The Indian Constitution, for example, horizontally fragments power across different institutions like the Legislature, Executive and the Judiciary and even independent statutory bodies like the Election Commission. This ensures that even if one institution wants to subvert the Constitution, others can check its transgressions. An intelligent system of checks and balances has facilitated the success of the Indian Constitution.

संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा

संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बाँट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधयिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्रा संवैधनिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बाँट देता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएँ उसवेफ अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सपफलता सुनिश्चित की है।

How was the Indian Constitution made?

Formally, the Constitution was made by the Constituent Assembly which had been elected for undivided India. It held its first sitting on 9 December1946 and reassembled as Constituent Assembly for divided India on 14 August 1947. Its members were chosen by indirect election by the members of the Provincial Legislative Assemblies that had been established under the Government of India Act, 1935. The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the committee of the British cabinet, known as the Cabinet Mission. According to this plan:

संविधान सभा का स्वरूप

औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और पिफर 14 अगस्त, 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति – कैबिनेट मिशन' ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार .

- Each Province and each Princely State or group of States were allotted seats proportional to their respective population roughly in the ratio of 1:10,00,000. As a result the Provinces (that were under direct British rule) were to elect 292 members while the Princely States were allotted a minimum of 93 seats.
- The seats in each Province were distributed among the three main communities, Muslims, Sikhs and general, in proportion to their respective populations.
- Members of each community in the Provincial Legislative Assembly elected their own representatives by the method of proportional representation with single transferable vote.
- The method of selection in the case of representatives of Princely States was to be determined by consultation.

- ❖ प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों वेफ समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गईं। मोटे तौर पर दस लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गईं।
- ❖ प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों – मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बाँट दिया गया।
- ❖ प्रांतीय विधन सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया।
- ❖ देशी रियासतों वेफ प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया।

Composition of the Constituent Assembly

- **As a consequence of the Partition under the plan of 3 June 1947 those members who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be members of the Constituent Assembly. The number of members in the Assembly was reduced to 299. The Constitution was adopted on 26 November 1949. 284 members were actually present on 24 January 1950 and appended their signature to the Constitution as finally passed.**

संविधान सभा का स्वरूप

3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधन सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्राों से चुनकर आये थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घट कर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर, 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किये।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और [2][राष्ट्र की एकता

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (1.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (1.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1]**[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

---

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec. 2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec. 2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

Provisions adapted from constitutions of different countries